ISSN 2278 - 0327

ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु मनरेगा एक लोकनीति योजना के रूप में कार्यान्वयन का एक अध्ययन : छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के खरथुली ग्राम पंचायत के विशेष सन्दर्भ में

डॉ. राम बाबू
(सहायक प्राध्यापक) राजनीति विज्ञान विभाग
गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर छत्तीसगढ़

सारांश:

भारत एक लम्बे संघर्ष, बलिदान और त्याग के परिणाम स्वरुप भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से मुक्त होकर 1947 में एक स्वतंत्र राष्ट्र–राज्य के रूप में विश्व पटल पर आया और एक सवैधानिक व्यवस्था के तहत राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया, जिसके अंतर्गत मानव मूल्यों, अधिकारों और राष्ट्र को आगे बढानें वाले तत्वों के साथ सभी को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित किया गया और भारत सदैव विश्व को वसुधैव कुटुम्बकम यानि पूरे विश्व को अपना परिवार माना है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति, शासन व्यवस्थाएं विश्व की प्राचीनतम व्यवस्थाओं में से एक है। भारत एक ऐसा देश जो लोकतान्त्रिक एवं सवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करनें वाला, जहाँ पर अनेक धर्म, समुदाय और भाषा के लोग रहते हैं, तो स्वाभाविक है, कि वहाँ कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियाँ भी होंगो उन्हीं में से एक समस्या गरीबी है, जिसके उन्मूलन हेतु अनेक नीतियों का निर्माण किया गया जिसमें से प्रमुख योजना मनरेगा है, जो विश्व की सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना है जिसका उद्देश्य रोजगार प्रदान करना लेकिन इसके आलावा आज मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर से होनें वाले सभी कार्य मनरेगा द्वारा किये जा रहे हैं, इससे समाज का आधारभूत सरंचना के निर्माण के साथ साथ उनको रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अत: भारतीय सविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत किया गया है, तथा सरकार पर यह नैतिक दायित्व होता है, कि जनता का प्रतिनिधि होनें के नाते वो समाज में व्याप्त सामाजिक समस्याओं को दूर करनें के लिए कल्याणकारी नीतियों को लागू करें जिससे समाज में मौजूद समस्या का समाधान हो सके। इसी विषय पर आधारित यह शोध पत्र जिसके अंतर्गत मनरेगा एक लोकनीति योजना के रूप में कैसे कार्य करती है, तथा इसके कार्यन्वयन स्तर को समझना आदि विषय पर केन्द्रित किया गया हैं। इस प्रकार अंतत: मनरेगा योजना के द्वारा समाज के कमजोर वर्गों एवं रोजगार के इच्छुक लोगों रोजगार मील रहा और गांवों की स्थायी परिसंपत्तियों जैसे सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा,स्वस्थ्य, पर्यवरण आदि कार्य किये जा रहे है, साथ ही मनरेगा गरीबी कम करनें में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही हैं।

मूलशब्द: ग्रामीण, गरीबी, बेरोजगारी, मनरेगा, आधारभूत संरचना, लोक नीति

प्रस्तावना :

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुतायत देश के रूप में जाना जाता रहा हैं, जो देश की कुल जनसँख्या का लगभग 70 प्रतिशत जनसँख्या गावों में निवास करती है, लेकिन पिछले कुछ दशक से गांवों से शहरों की ओर पलायन बहुत तेजी से बढ़ा है, और असर शहरों के स्वस्थ्य पर पड़ रहा है, और इस सबके पीछे मुख्य वजह रोजगार की कमी क्योंकि कृषि ज्यादा निर्भरता होनें से पूरे वर्ष भर रोजगार उपलब्ध नहीं रहता जिसके कारण लोग रोजगार की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते हैं, और इससे शहरीकरण के जीवन पर प्रभाव डालता है, अत: इस समस्या से निपटनें के लिए सरकार द्वारा अनेक रोजगार सम्बंधित नीतियों को समय समय पर कार्यान्वयन किया गया जिसमें से एक है, महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी योजना मनरेगा जो एक रोजगार परक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनें के दृष्टिकोण से प्रमुख योजना है, जिसके माध्यम से लोगों को रोजगार प्रदान करके उनको उनके घरों के आसपास ही रोजगार उपलब्ध कराना और इसके द्वारा आधारभूत संरचना का भी निर्माण करना तथा साथ ही पलायन को भी रोकना है। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जी का मानना था कि भारत गांवों का देश हैं, तथा भारत का विकास गाँव से जुड़ा हुआ है, और राष्ट्र के विकास का रास्ता इन्हीं गांवों से होकर गुजरता है। परन्तु स्वतंत्रता–प्राप्ति के सात दशक बाद भी देश में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या बनी हुई है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम उसी राष्ट्रीय सहमती का एक हिस्सा है, जो देश से गरीबी उन्मूलन को महत्व देते हुए सभी के लिए न्यूनतम आय के अवसर को सुनिश्चित करने पर बल देता है।'एक लोकतान्त्रिक व्यवस्था की सफलता का मूल्यांकन इसी आधार पर किया जा सकता हैं, कि विकास की राह पर खड़े अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुँचे जिससे वे अपना विकास एवं समाज की मुख्य धारा में जुड़ सकें और गौरवन्वित महसूस कर सकें इसी उदेश्य को पूरा करनें के लिए मनरेगा योजना को देखा जा सकता हैं

जहाँ इस योजना के माध्यम से व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक विकास के साथ साथ समाज की आधारभूत संरचना के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को देखा जा सकता हैं और इस योजना को 'मानव विकास यूएनडीपी के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) रिपोर्ट 2015 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को मानव विकास में मील का पत्थर बताया गया है। इस योजना को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रोजगार गारंटी कार्यक्रमों में से एक बताया गया है।' मनरेगा को 2005 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार द्वारा कृषि उत्पादकता में सुधार और भूमि क्षरण को कम करने वाली परियोजनाओं के माध्यम से ग्रामीण गरीबों को लाभान्वित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी, मांग-संचालित रोजगार-सृजन कार्यक्रम को लागू करने के लिए अनिवार्य किया गया था। यह ग्रामीण परिवारों को 100 दिनों के अकुशल शारीरिक कार्य की गारंटी देता है[1] ।

मनरेगा एक रोजगार गारंटी एवं राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम हैं। 'एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की राष्ट्रीय परिषद और मैरीलैंड विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि भाग लेने वाले परिवारों के लिए 2004-05 से गरीबी में कम से कम 25त्न गिरावट का श्रेय ग्रामीण रोजगार योजना में भागीदारी को दिया जा सकता है। विश्लेषण के अनुसार इन परिवारों में साहूकारों से उधार लेने की संभावना कम है और अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने की संभावना अधिक है। दो राज्यों छत्तीसगढ़ (मजबूत कार्यक्रम कार्यान्वयन) और बिहार (कमजोर) की तुलना नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च और मैरीलैंड विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि छत्तीसगढ़ में लगभग 60 प्रतिशत गरीब मनरेगा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भाग लेते हैं, जबकि मुश्किल से 11 प्रतिशत गरीब स्थानीय प्रशासन की कम क्षमता के कारण परिवार बिहार में भाग लेते हैं।' दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी-विरोधी योजना मनरेगा ने गरीबी को कम किया, और महिलाओं को सशक्त बनाया लेकिन सीमित स्तर तक पहुंच पाई[2]।

शोध का उद्देश्य:

शोध का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण गरीबी उन्मूलन हेतु मनरेगा एक लोक नीति योजना के रूप में कार्यन्वयन का एक अध्ययन : छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के खरथुली ग्राम पंचायत के विशेष सन्दर्भ में अध्ययन करना है। अध्ययन की दृष्टि से शोध के उद्देश्यों को इस प्रकार उल्लेखित किया गया है-

- पहला उद्देश्य- भारत एवं छत्तीसगढ़ में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगर गारंटी योजना के कार्यन्वयन का अध्ययन करना;
- दूसरा उद्देश्य- अध्ययन क्षेत्र (छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के खरतुली ग्राम पंचायत) में मनरेगा के कार्यन्वयन की स्थिति का अध्ययन करना ;
- तीसरा उद्देश्य - मनरेगा के कार्यान्वयन में पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की भागीदारी का अध्ययन करना;

शोध पद्धति:

अध्ययन की दृष्टि से वर्णनात्मक तथा अन्वेषणात्मक पद्धतियों के साथ - साथ गुणात्मक एवं मात्रात्मक पद्धति का भी प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक पद्धति द्वारा शोध की समस्या के समग्र दृष्टिकोण को समझने के लिए कुछ पद्धतियों का प्रयोग किया गया हैं, जिसके अंतर्गत प्राथमिक तथ्यों के संकलन हेतु साक्षात्कार, अनुसूची एवं प्रश्नावली आदि के माध्यम से किया गया है, ताकि शोध विषय से सम्बंधित वास्तविक तथ्यों की प्राप्ति हो सकें और तथ्यों का वर्णन एवं चयन करते समय मिथ्या, पूर्वाग्रह, पक्षपात आदि से बचने का प्रयास किया गया हैं। द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में महात्मा गाँधी नरेगा कार्यक्रमों से सम्बंधित सरकारी प्रतिवेदनों, सर्वेक्षण आंकड़े, पत्र-पत्रिकाओं आदि के माध्यम से तथ्यों का संकलन किया गया है। प्राथमिक स्त्रोतों के संकलन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के डोंडीलोहारा ब्लाक के खरथुली ग्राम पंचायत को वर्ष 2014 मनरेगा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया, अत: उत्कृष्ट कार्यन्वयन की स्थिति को समझनें के साथ साथ पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की मनरेगा में भागीदारी को समझनें हेतु सौद्देशय पद्दति के साथ साथ लम्बात्मक शोध अध्ययन की सहायता से 2014 से 2021 तक के अध्ययन को शामिल किया गया गया है।

निदर्शन की पद्धति :

के अंतर्गत समग्र में से कुछ इकाइयों के रूप में मनरेगा के क्षेत्र उत्कृष्ट कार्यान्वयन की स्थिति को समझनें एवं मूल्याकन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले के खरथुली ग्राम पंचायत को अध्ययन के लिए चयनित किया गया जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायत से कुल 200 जॉब कार्डधारक परिवारों और निर्वाचित सदस्यों का उत्तरदाता के रूप में चयन दैव- निदर्शन पद्दति से किया गया है, प्रत्येक चयनित जॉब कार्ड धारक से या उसके उपस्थित न रहने पर उसके परिवार के अन्य सदस्यों से जो मनरेगा में जॉब कार्ड के तहत कार्य कर रहें थे, का चयन एक उत्तरदाता के रूप में सुविधाजनक निदर्शन विधि से किया गया है। साक्षत्कार के लिए जॉब कार्ड धारकों की पहचान हेतु भारत की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी मनरेगा जॉब कार्ड की सूची के आधार पर किया गया है।

भारत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) एवं गरीबी उन्मूलन योजनायें:

'भारत आजादी के 75 वर्षों में भारत ने अनेक बहुआयामी सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर रहा है। परन्तु इसके बावजूद गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भुखमरी, भ्रष्टाचार, जनसंख्या की तीव्रता, क्षेत्रीयता एवं साम्प्रदायिक, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन आदि जैसी प्रमुख समस्यायें विद्धमान है, जिनमें से एक प्रमुख समस्या बेरोजगारी की है, जिसका उल्लेख भारतीय सविधान में राज्य के नीति निर्देशक

तत्वों में भी उल्लेख किया गया है। भारत एक युवा आबादी वाला देश है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है, जिनको सही दिशा में प्रशिक्षित एवं मार्गदर्शित करके देश के विकास की मुख्यधारा में जोड़ा जा सकता है, जिससे राष्ट्र का समुचित सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायक हो सके (सिंह, अभय., 2015)[3]। भारत एक लोकतान्त्रिक देश है, जहाँ पर शासन का केंद्र-बिंदु लोगों के हाथ में होता हैं, वहाँ पर लोगों का सामाजिक आर्थिक कल्याण करना जनता के प्रतिनिधियों का दायित्व होता हैं, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्यकारी नही है। हालाकिं नैतिक जिम्मेदारी जरुर है, क्योंकि सरकार में बने रहना ये जनता की सहमती पर ही आधारित होता है। भारत में रोजगार एवं गरीबी एक प्रमुख समस्या रही है और इससे विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र ग्रसित रहा है, अत: सरकारों द्वारा इस समस्या से निपटनें के लिए सतत प्रयास भी किया जाता रहता है, उन्ही प्रयासों का एक प्रतिफल मनरेगा है, जो विश्व की सबसे बड़ी रोजगार योजना है।' भारत में अकुशल ग्रामीण गरीबों को रोजगार देनें और गावों में स्थायी आधारभूत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु एक संविधानिक अधिकार आधारित दृष्टिकोणों के द्वारा 'मनरेगा' को [5] सितंबर, 2005 को अधिसूचित किया गया जो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहनें वाले लोगों के लिए रोजगार अधिकार आधारित कार्यक्रम को लागू करना है। इसका उदेश्य प्रत्येक उस परिवार को रोजगार देना जिनके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करनें के इच्छुक है, उन्हें वर्ष में कम-से-कम 100 दिनों की गारन्टीशुदा रोजगार उपलब्ध कराते हुए आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है। पहले चरण में मनरेगा 2 फरवरी, 2006 को देश के 200 अति पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया गया जिसे बाद में 1 अप्रैल, 2007 से अन्य 113 एवं 15 मई, 2007 से 17 जिलो में इसका विस्तार किया गया और अंत में 1 अप्रैल, 2008 से देश के शेष सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया[4] '। हालाकिं गरीबी उन्मूलन हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कई नीतियों का कार्यान्वयन किया गया इसमें पंचवर्षीय योजना प्रमुख रूप से शामिल हैं, लेकिन उतना प्रभावशाली असर नहीं रहा कि गरीबी को के स्तर को कम कर सकें और लोगों को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दे सकें जिससे लोगों को रोजगार मिल सकें और साथ ही सामाजिक आर्थिक विकास के साथ क्षेत्र का विकास भी सुदृढ़ किया जा सके एवं पलायन को भी रोका जा सकें और इस हेतु सबसे प्रभावी योजना मनरेगा रही, जो लोगों को रोजगार गारन्टी दे सकें। हालाकिं यह पहली गरीबी उन्मूलन योजना नहीं है, इसके पूर्व कई गरीबी उन्मूलन योजनायें जैसे कि- 1977 - अन्त्योदय योजना, 1979 - ट्रायसेम, 1980 - एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी-इरडा), 1982 - महिलाओं और बच्चों का विकास ग्रामीण क्षेत्र में (डीडब्लूसीआरए-डवाकरा) योजना, 1993 - रोजगार अश्वासन योजना, 1997 - स्वर्णजयंती शहरी स्वरोजगार योजना, 1999 - स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), 2000 - प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई), 2001 - सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.,वाई.), 2006 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (नरेगा), 1999 - जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (जे.जी.एस.वाई.), 1989 - जवाहर रोजगार योजना आदि थी।

तालिका संख्या:1, नरेगा जिले:राज्य की आय और गरीबी

तालिका संख्या: 1, नरेगा जिले: राज्य की आय और गरीबी					
क्र.	राज्य प्रति व्यक्ति आय के बढ़ते क्रम में	प्रति व्यक्ति आय (रुपये में)	नरेगा जिलों की संख्या	ग्रामीण परिवारों का वितरण	ग्रामीण बीपीएल परिवारों का वितरण
1	छत्तीसगढ़	१२२४४	११	३.७५	४.५३
2	मध्य प्रदेश	११५००	१८	६.५७	७.९४
3	बिहार	५६०६	२३	१४.३६	२०.७३
4	उत्तर प्रदेश	९९६३	३	१३.२६	१३.४९
5	ओड़िसा	१०१६४	१९	७.१	११.११
6	झारखण्ड	१११३९	२०	६.२९	९.०८

स्त्रोत : https://papers.ssrn.com/sol3 papers.cfm?abstract_id= 1000215 [5]

उपरोक्त तालिका के अनुसार दो सौ जिलों में से 119 जिले केवल सात राज्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से हैं। जहां पर सामाजिक आर्थिक विकास में निम्न स्तर पर हैं, ये राज्य मुख्य रूप से ग्रामीण हैं जिनमें 67.95 प्रतिशत ग्रामीण गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार के अंतर्गत आते हैं. मनरेगा का उदेश्य गरीबी को कम करना तथा विकास के नए आयाम कनेक्टिविटी, बैंकिंग का प्रसार, ग्रामीण शक्ति संरचना की प्रकृति, और गुणवत्ता आदि को स्थापित करना हैं। गरीबी एक बहुआयामी समस्या है जो व्यक्ति, समाज एवं राज्य के विकास का मार्ग अवरुद्ध करती हैं, गरीबी का अर्थ बुनियादी जरूरतों एवं सेवाओं का आभाव है। भारत में लगभग 35 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना गुजर-बसर करतें है। देश में गरीबी का आकलन करने वाली संस्था योजना आयोग का स्थान वर्तमान में नीति आयोग ने ले लिया है। गरीबी की गणना राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण विभाग (एन.एस.एस.ओ) 2011 के अनुसार भारत में गरीबी का आकलन नीचे प्रतिदर्शित किया गया है।

तालिका संख्या:2, भारत में गरीबी का एक आकलन (प्रतिशत में)

क्रं.	वर्ष	गरीबी अनुपात (%)			गरीबों की संख्या (लाख)		
		ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल
1	1993-94	50.1	31.8	45.3	328.6	74.5	403.7
2	2004-05	41.8	25.7	37.2	326.3	80.8	407.1
3	2011-12	25.7	13.7	21.9	216.5	52.8	269.3

स्त्रोत:योजना आयोग की रिपोर्ट 2011-12 [6]

तालिका संख्या:3, भारत के सन्दर्भ में व्यक्तियों की जनसँख्या और उनकी आय सम्बन्धित आंकड़ों का विवरण (प्रतिशत में)

क्रं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी		कुल	
		%आय के व्यक्तियों	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	% आयु के व्यक्तियों	व्यक्तियों की संख्या (लाख)	% आय के व्यक्तियों	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1.	छत्तीसगढ़	44.61	88.90	24.75	15.22	39.93	104.11
2.	भारत	25.70	2166.58	13.70	531.25	21.92	2697.83

स्त्रोत: योजना आयोग की रिपोर्ट 2011-12 [7]

इस प्रकार गरीबी एक बहुआयामी घटना है, जो निम्न आय, खराब स्वास्थ्य और शिक्षा, खराब कौशल और नौकरी के अवसरों की कमी, बुनियादी सुविधाओं का आभाव आदि को प्रकट करती है। 'भारत एक विशाल लोकतान्त्रिक एवं आबादी वाला देश है, जहां पर गरीबी एक प्रमुख मुद्दा एवं चुनौती का विषय रहा है तथा इसके लिए सरकारों द्वारा समय समय पर अनेक नीतियों को लाया गया और उसी नीतियों में एक प्रमुख लोकनीति 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा है जो ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण गरीबी उन्मूलन के लिए एक आवश्यक ऐतिहासिक कदम है। हालाकिं भारत में दशकों से गरीबी उन्मूलन के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के समय से ही इस दिशा में कार्य प्रारम्भ हुए थे। लेकिन उससे समुचित लाभ नहीं मिला। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि जरूरतमंद लोगों काम करने के अवसर सतत प्रदान करने की योजना पर काम करने की जरुरत हैं। किसी भी देश से गरीबी को दूर करने के लिए उसके कुछ घटक पर ध्यान देने की जरुरत हैं जैसे आर्थिक विकास, मानव विकास को आगे बढ़ाना और गरीबी के बहुआयामी स्वरूप के उन्मूलन हेतु गरीबी लक्षित कार्यक्रम करना आदि शामिल है। जिसके अंतर्गत मनरेगा भी शामिल है। इसी प्रकार गरीबी उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय –राज्यीय समन्वय के साथ अवलोकन , नीतिगत निर्णय और अधिक प्रभावी गरीबी-विरोधी नीतियों पर चर्चा किया जाना आवश्यक है [8]।

छत्तीसगढ़ में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन का अध्ययन :

देश के पूर्व प्रधानमंत्री कुशल नेतृत्व कर्ता सबके प्रिय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के अनुसार विकास की उम्मीदों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया। वाजपेयी जी स्वतंत्र भारत के उन गिने-चुने आदर्शवादी नेताओं में सुमार थे, जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए सुशासन के सिध्दांतों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। क्षेत्रीय असमानता को को दूर कर सभी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक विकास का फायदा समान रूप से सबको पहुचाया जा सकता है और सुशासन तभी सार्थक होगा जब उसे जनता तक पहुंचे और प्रशासन का विकेन्द्रीकरण हो साथ ही लोगों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जय। देश के 26 वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित कर एक अलग राज्य के रूप में स्थापित किया गया जो खनिज सम्पदा से संपन्न आदिवासी बाहुल्य राज्य है। एक राज्य बनने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में लोगो की आजीविका सुरक्षा एवं रोजगार की उपलब्धता एक चुनौती रही है, जिसे दूर करने हेतु अनेक प्रयास किया गया और उन्ही प्रयासों में से एक महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की रही जो लोगों को रोजगार प्रदान करनें हेतु 'मील का पत्थर' साबित हुई है। इस योजना के द्वारा ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और साथ रोजगार के साथ गांवों की परिसम्पतियो का भी निर्माण किया जा रहा है। महिलाओ की बात करें तो उल्लेखनीय भागीदारी दिखती हैं जिसके माध्यम से घर के पुरुष के साथ महिलाओं द्वारा किया जानें लगा इससे समाज के विकास में अहम् योगदान दिया जानें लगा और लोगों के जीवन स्तर में बदलाव शुरू हुआ साथ ही घर के पास रोजगार होनें से गावों के पलायन में भी कमी देखी गयी और विशेषकर कोविड 19 के दौरान ज्यादा आवश्यकता महसूस हुई जहाँ लोगों का मानना था कि पैसे कम मिले लेकिन घर के पास रोजगार हो और उस समय मनरेगा रोजगार की एक मुख्य कड़ी के रूप में निभाया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) अंतर्गत राज्य में 02 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गयी है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को जो अकुशल श्रम करने हेतु तैयार है उनको एक वितीय वर्ष में एक परिवार को कम से कम 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध करा कर आजीविका को सुनिश्चित करना तथा साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कार्य करना है। प्रथम चरण 02 फरवरी 2006 में प्रदेश के 11 जिले जैसे (बिलासपुर, बस्तर, धमतरी, जसपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोरिया, राजनांदगाव, दंतेवाड़ा, एवं सरगुजा) में लागू किया गया और द्वितीय चरण 01 अप्रैल 2007 से 4 जिले (रायपुर, जांजगीर- चांपा, कोरबा तथा महासमुंद) में तथा तृतीय चरण में 01 अप्रैल 2008 से जिला दुर्ग के शामिल होने से राज्य के सभी जिलों में यह योजना लागू की गयी। इस शोध अध्ययन के द्वारा मनरेगा एक लोकनीति योजना के रूप उसके कार्यन्वयन का अध्ययन किया गया है, जो कि अब तक की ऐसी पहली योजना है, जिसमे व्यापक रूप से लोगों को रोजगार की गारंटी दी गयी है [9]।

तालिका संख्या:4, भारत में मनरेगा जॉब कार्ड और इसमें कार्य करनें वाले कर्मचारियों की वर्तमान संख्या

क्रमांक	जारी किए गए जॉब कार्डों की कुल संख्या	कर्मचारियों की कुल संख्या	सक्रिय जॉब कार्डों की कुल संख्या	सक्रिय कर्मचारियों की कुल संख्या
भारत (करोड़ में)	१६.९४	३१.५	१०.२१	१५.५४
छत्तीसगढ़ राज्य (लाख में)	४२.४९	९८.२१	३५.०३	७२.६
बालोद (जिला)	१.५६	३.८८	१.४३	२.८२
डोंडीलोहारा (ब्लाक)	४५,०८६	१,०९,९०२	४०.१८५	७६.६७७
खरथुली (ग्राम पंचायत)	५१२	१,०७६	४४३	६८२

स्त्रोत:https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details _dashboard_new.aspx[10]

'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत दिसम्बर 2022 तक 16.91 करोड़ जॉब कार्ड आधार से जुड़ेंगे[11] ।'

अध्ययन क्षेत्र बालोद जिले की खरथुली ग्राम पंचायत:

छत्तीसगढ़ राज्य के बालोद जिले और ब्लाक डोंडी लोहारा, ग्राम पंचायत खरथुली को मनरेगा के क्षेत्र में बेहतर कार्यन्वयन हेतु 2014 मनरेगा का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, जिसको समझनें के लिए यह अध्ययन किया गया जिससे पता चल सके कि यह पुरस्कार उसी ग्राम पंचायत को क्यों मिला, बाकी ग्राम पंचायत को क्यों नहीं तथा यह भी जानने के लिए मनरेगा कार्यन्वयन का स्तर क्या है। आदि जैसी स्थितियों एवं वास्विकता को समझनें के लिए अध्ययन किया गया है और दूसरी ग्राम पंचायतों को सुझाव एवं अपनें कार्यों के मूल्यांकन का अवसर भी मिल सके इस विषय हेतु अध्ययन केन्द्रित किया गया है। बालोद, छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 33 जिलों में से एक जिला है, बालोद जिले का क्षेत्रफल 3,527 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार बालोद जिले की कुल जनसंख्या 826165 जिसमें से 408638 पुरुष तथा 417527 महिला थीं और जनसंख्या घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महिला और पुरुष अनुपात 1022 महिलाओं पर प्रति 1000 पुरुष हैं [12]। बालोद जिले में कुल पांच तहसीलें - डोंडी लोहरा, डौंडी, गुंडारदेही, गुरुर, बालोद हैं। साथ ही जिले में एक लोकसभा सीट कांकेर हैं, और तीन विधानसभा सीटें - संजारी बालोद, डोंडी लोहरा और गुंडरदेही है, 'दो नगर पालिका परिषद्- बालोद, दल्ली राजहरा, तथा छ: नगर पंचायत- डौंडी, डौंडी लोहरा, गुंडरदेही, चिखलाकसा, गुरुर, अर्जुन्दा है [13]।

अत: मनरेगा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन एवं प्रदर्शन के लिए मनरेगा पुरस्कार दिया जाता है, जिसको प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित मूल्यांकन मापदंड होते हैं जिसे पूरा करनें के बाद यह अवसर प्राप्त होता है जैसे- शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना, और संचार, प्रशिक्षण और अभिविन्यास, वित्त, लेखा परीक्षा, ब्लॉक और ग्राम पंचायत का समुचित रखरखाव रिकॉर्ड रखरखाव, पलायन पर रोक, सूचना प्रणाली का प्रबंधन, कार्यस्थल प्रबंध, मस्टर रोल और जॉब कार्ड का रख - रखाव श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान, निगरानी और सामाजिक लेखा परीक्षा, मीडिया प्रबंधन, सतर्कता और निगरानी समितियां, सामाजिक ऑडिट, शिकायतों का प्रबंधन और निपटान[14], कन्वर्जेंस- ग्रामीण विकास, कृषि, पर्यावरण और वन, मत्स्य पालन, पशुपालन, जल प्रबंधन, बागवानी, पेंशन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पोषण, और कल्याणकारी कार्यक्रमों एवं कार्यों के निष्पादन में उचित गुणवत्ता सुनिश्चित करना आदि सकेतक शामिल हैं। अत: उपरोक्त दिए गये मनरेगा पुरस्कार प्राप्ति हेतु जो मापदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निर्धारित किये गये हैं, इसको पूरा करने वाले को मनरेगा पुरस्कार दिया जाता हैं और इसी मापदंड को पूरा करनें के बाद खरथुली ग्राम पंचायत को 2014 में सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए मनरेगा पुरस्कार दिया गया जो उस वर्ष में छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र ग्राम पंचायत थी जिसे यह पुरस्कार प्राप्त हुआ और इसीलिए बेहतर कार्यन्वयन का मूल्याकन करनें के लिए अध्ययन किया गया जिसके परिणाम स्वरुप उपरोक्त अधिकांश मापदंडों के अनुरूप पाया गया ?

तालिका संख्या:5, वर्गवार पंजीकृत श्रमिकों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या

क्र.	पंचायत	जॉब कार्ड की संख्या		पंजीकृत श्रमिक					सक्रिय की संख्या	सक्रिय कार्यकर्ता *				
		के लिए आवेदन	जारी किए गए	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियों	अन्य	कुल श्रमिक	महिला	जॉब कार्ड *	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजातियों	अन्य	कुल श्रमिक	महिला
1	खरथुली (ग्राम पंचायत)	512	512	83	601	392	1076	530	456	57	395	229	681	407
2	डोंडीलोहारा (ब्लाक)	45300	44972	5077	49367	55381	109825	55599	40736	3449	36225	36982	76656	43078
3	बालोद (जिला)	155728	155242	25167	123308	238967	387442	194189	143836	18062	94144	169194	281400	154828
4	कुल (छत्तीसगढ़ राज्य)	4284395	4113862	1067458	3233762	5544782	9846002	4793355	3566815	777905	2419837	4067842	7265584	3617599

स्त्रोत: https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/app_issue.aspx?page [15]

खरथुली ग्राम पंचायत:

बालोद जिले से 20 किलोमीटर दूर डोंडीलोहारा ब्लाक के गाँव में है जिसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) से सम्बंधित उत्कृष्ट कार्यन्वयन के लिए पुरस्कृत पंचायत है. भारत से कुल 11 ग्राम पंचायतों का चयन हुआ था जिसमें छत्तीसगढ़ से केवल एक ग्राम पंचायत खरथुली का किया गया। खरथुली, बालोद जिले के डोंडीलोहारा- 117 ब्लाक के अंतर्गत आता हैं जो बालोद जिले के पांचो ब्लाक में से सबसे बड़ा है और इसके आलावा चार ब्लाक डोंडी-58, गुंडरदेही-43, गुरुर-76, बालोद- 57 ग्राम पंचायत आते हैं16 । खरथुली ग्राम पंचायत के अंतर्गत दो आश्रित गाँव देवरी और पारी भी आते हैं जहाँ पर मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत कुल परिवारों की संख्या इस प्रकार थी, खरथुली से 303 - परिवार, देवरी - 92, एवं पार्री में - 72 परिवार थे, इस प्रकार खरथुली ग्राम पंचायत में कुल पंजीकृत परिवारों की संख्या 467 थी, जिसमें से अनुसूचित जाति के 43 परिवारों में 15 खरथुली, 2 देवरी, एवं 26 परिवार पार्री में थे। इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति के 256 परिवारों में 175 खरथुली, 55 देवरी, एवं 26 परिवार पारी में थे, तथा 168 परिवार अन्य वर्ग से थे जिसमें खरथुली से 113, देवरी 35 से, एवं पार्री से 20 परिवार थे। इस प्रकार ग्राम पंचायत में कुल 467 परिवारों में से 599 पुरुष तथा 558 महिलायें थी।

तालिका संख्या:6, खरथुली ग्राम पंचायत में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों की कुल संख्या-

गाँव	पंजीकृत		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		अन्य		पुरुष	महिला
	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति	परिवार	व्यक्ति		
खरथुली	303	766	15	35	175	452	113	279	404	362
देवरी	92	205	2	4	55	141	35	60	105	100
पार्री	72	186	26	74	26	59	20	53	90	96
योग	467	1157	43	113	256	652	168	392	599	558

स्त्रोत:ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, न्यू दिल्ली [17]

जनगणना 2011 के अनुसार खरथुली से 281 परिवार, देवरी 81, पारी से 73 कुल परिवारों की संख्या थी, जिसमें क्रमश: खरथुली 1318, देवरी 399, पारी से 322 की जनसँख्या थी। इसमें कुल पुरुषों एवं महिलाओं की संख्या है, 662 खरथुली से, तो 196 देवरी और 145 पुरुष थी इसी प्रकार महिलाओं की संख्या क्रमश: 656 खरथुली से, 203 देवरी, 177 पारी से महिलाएं में थीं।

तालिका संख्या:7, अध्ययन क्षेत्र खरथुली ग्राम पंचायत की सामाजिक आर्थिक सूचकांक सम्बन्धी आंकडे

संकेतक	गाँव		
	खरथुली	देवरी	पारी
कुल परिवारों की संख्या	281	81	73
कुल जनसँख्या	1318	399	322
पुरुष	662	196	145
महिला	656	203	177
0-6 वर्ष के बीच कुल संख्या	124	54	29
अनुसूचित जाति कुल संख्या	67	8	140
पुरुष	44	4	64
महिला	37	4	76
अनुसूचित जनजाति कुल संख्या	766	267	112
पुरुष	381	131	52
महिला	385	136	60
साक्षरता संख्या	938	271	229
पुरुष	527	151	116
महिला	411	120	113
निरक्षरता संख्या	380	128	93
पुरुष	135	45	29
महिला	245	83	64
कुल कामगारों की संख्या	759	211	187
पुरुष	364	105	85
महिला	395	106	102
मुख्य कामगारों की संख्या	561	190	182
पुरुष	288	94	83
महिला	273	96	99
कुल सीमांत कामगारों की संख्या	198	21	5
पुरुष	76	11	2
महिला	122	10	3
गैर कामगारों की संख्या	559	188	135
पुरुष	298	91	60
महिला	261	97	75

स्त्रोत:जनगणना रिपोर्ट 2011 [18]

मनरेगा में पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की भागीदारी का अध्ययन:

इस अध्ययन के दौरान पाया गया कि खरथुली ग्राम पंचायत में

पंचायत सदस्यों का समर्पण और ग्रामीणों का सहयोगात्मक इच्छाशक्ति के अनुरूप यह संभव हो पाया की ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा तय किये मापदंड के अनुरूप कार्य करते हुए मनरेगा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। अत: खरथुली ग्राम पंचायत में अध्ययन के दौरान पाया गया कि वहाँ मनरेगा में कार्य करनें के लिए अवसर प्रदान करना तथा जॉब कार्ड धारकों की मांग के अनुसार उन्हें कार्य उपलब्ध कराना और उन्हें एक सप्ताह पूरे होनें पर मजदूरी बैंक खाते के माध्यम से देना। इसके आलावा मनरेगा में कार्य करनें वाले लोगों को कार्यस्थल पर सुविधाएँ देना, कार्यों का सोशल ऑडिट प्रत्येक छ: महीनों पर कराना और साथ ही मनरेगा योजना के आने से ग्रामीणों की सामाजिक- आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है, जो पहले महिलाएं बाहर नही निकलती थी वो केवल घर को सभालती थी वो अब मनरेगा आने से घरों से बाहर जाकर कार्य कर रही हैं इससे घरों की आमदनी बढ़ी और उनके जीवन के रहन सहन में बदलाव पाया गया। ग्राम पंचायत को पुरस्कार मिलने का सबसे बड़ा कारण वहां की महिलाओं की मनरेगा योजना में भागीदारी, व्यापक वृक्षरोपण का कार्य, मनरेगा में काम के 150 दिन, महिला हो या पुरुष सभी को एक सामान मजदूरी आदि और ई-मस्टर-रोल- की शुरुआत करनें वाला छत्तीसगढ़ की पहली ग्राम पंचायत जिसे लागू करनें से भ्रस्टाचार पर नियंत्रण लगाने में मदद मिली। खरथुली ग्राम पंचायत में सभी प्रशासनिक कर्मचारी एवं जनता प्रतिनिधि सभी युवा वर्ग से सम्बंधित लोग है और महिलाओं की भूमिका भी बहुत सराहनीय रही क्योंकि मनरेगा में ज्यादा भागीदारी रही। ग्राम पंचायत के सभी उनत्तीस विषयों पर कार्य हो रहा है, एक परिवार के मुखिया के अंतर्गत परिवार के लगभग 14 सदस्य एक जॉब कार्ड पर कार्य कर सकतें है। रोजगार सेवक के मुताबिक ग्राम पंचायत में मनरेगा कार्यन्वयन सम्बन्धी कार्यों को करनें में सभी की भागीदारी एवं सहमती से यह कार्य हो रहा हैं, मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाता हैं, तथा इसके लिए 'मुनियादी' भी करायी जाती हैं, और पुरुष उस बैठक में जातें हैं, और उसके बाद घर जाकर अपनें घरों की महिलाओं को बताते हैं और उनको जागरूक करतें है। हालाकिं ग्राम पंचायत के दो आश्रित गाँव देवरी और पारी के लोगों का मानना रहा की विकास के पैमानें पर खरथुली से पीछे है, इसका कारण ये दोनों छोटे एवं आश्रित गाँव है और खरथुली एक बड़ा गाँव है और सरपंच भी उसी गाँव के हैं। भू मनरेगा योजना लागू हैं, जिसके अंतर्गत जहाँ पर कार्य चल रहा होता हैं, वहाँ की तत्काल फोटो अपलोड करना, इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में मनरेगा योजना के विषय में सूचना की प्राप्ति, मजदूरी तय करने वाले मापदंड, रोजगार के लिए आवेदन पत्र, सामाजिक अंकेक्षण, उपस्थिति रजिस्टर का रखरखाव, शिकायत सम्बन्धी सूचना, समय पर मजदूरी का भुगतान और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से भुगतान व्यवस्था एवं भुगतान में पारदर्शिता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत सभी भुगतान बैंक/डाकघरों में खोले गये श्रमिकों के खाते में जमा किये जातें हैं। अत: उपरोक्त किये गये पंचायत प्रतिनिधियों और रोजगार सेवक से साक्षात्कार के आधार पर निष्कर्षत: कहा जा सकता हैं कि इस ग्राम पंचायत में पंचायत प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों विशेषकर महिलाओं व्यापक सहभागिता की वजह से मनरेगा का कार्यन्वयन बेहतर तरीके से करनें के लिए ग्राम पंचायत को मनरेगा पुरस्कार से नवाजा गया।

निष्कर्ष :

अत: मनरेगा योजना नें समाज के कमजोर वर्गों जैसे अकुशल श्रमिक, दलित, आदिवासी और छोटे किसान, कार्य करनें के इच्छुक लोग आदि के बीच मनरेगा गरीबी कम करनें में महत्वपूर्ण भूमिका रही और मनरेगा के कारण लोगों को रोजगार में वृद्धि साथ ही मजदूरी में भी इजाफा हुआ जिससे साहूकारों पर लोगों की निर्भरता भी घटी हैं और अंतत: सामाजिक आर्थिक जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ ग्रामीण अधिसंरचना का भी निर्माण किया गया वैसे भी किसी लोकनीति की सफलता उसके उचित कार्यन्वयन एवं उसमें लोगों की सहभागिता का होना आवश्यक होता है, और वही कार्य खरथुली ग्राम पंचायत में किया गया जिसके परिणाम स्वरुप पंचायत के सभी लोगों नें मिलकर कार्य किया चाहे वह पंचायत प्रतिनिधि हो या रोजगार सेवक, ग्रामीण एवं विशेषकर महिलाओं की भागीदारी ने इस योजना को सफल बनाया और साथ ही योजना के माध्यम से गाँव के विकास कार्य को भी सुनिश्चित किया गया। इस तरह मनरेगा योजना के आने से ग्रामीण परिवारों को रोजगार की गारन्टी प्राप्त हुई यानि काम करने की सुरक्षा प्रदान की गयी और मनरेगा में कार्य करने की वजह से लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति भी पहले से बेहतर हुई, लोगों को मजदूरी उनके खाते में दी जाने लगी, जिससे उनके बचत करने की प्रवृति बढ़ी और शहरों की ओर पलायन रोकनें में कुछ हद तक मदद मिली क्योंकिं इसके पहले परिवार के भरण पोषण के लिए गांवों से शहरों की ओर जाना उनकी मज़बूरी थी, जो कि अब मनरेगा उनके समक्ष एक विकल्प के तौर पर उनको प्राप्त है। मनरेगा योजना के अंतर्गत वे सभी कार्य किये जातें है जैसे- शिक्षा, स्वस्थ्य, पर्यावरण का सरक्षण, जल सरक्षण, कृषि, सड़क एवं तालाब गहरीकरण, पशु चिकित्सा एवं आधारभूत संरचना का निर्माण आदि को जिससे ग्रामीण विकास के साथ साथ रोजगार को भी बढ़ावा मिले । मनरेगा योजना में सहभागिता की वजह से उनके परिवार की आय में वृद्धि के अलावा उनके सशक्तिकरण एवं स्वालंबन में भी वृद्धि हुई। आज (मनरेगा) लगभग हर मानविकी विद्वानों द्वारा शोध दृष्टिकोण को रखते हुए इस विषय पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अध्ययन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में लोकनीति निर्माण के सन्दर्भ में अकादमिक अध्ययन बहुत सीमित रूप से किया गया है जिसको ध्यान में रखकर यह अध्ययन किया गया है ताकि छत्तीसगढ़ में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना मनरेगा के द्वारा किये जा रहे कार्यन्वयन की प्रक्रिया पर व्यापक शैक्षिक समझ विकसित

करके इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता उसका अध्ययन करनें की जरुरत है।

सन्दर्भ सूची -

1. मुस्तकीम, मोहम्मद., (2015) , मनरेगा मानव विकास में मील के पत्थर बनाता है:यूएनडीपी, 15 दिसम्बर 2015 *https://ruralmarketing.in/stories/mgnrega-creates-milestone-in-human-development-undp/*
2. द फिनेंसिअल एक्सप्रेस, (2015) *https://www.ncaer.org/news/worlds-largest-anti-poverty-scheme-mgnrega-cut-poverty-empowered-women-but-reach-limited* अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद, 13 अगस्त 2015,
3. सिंह, अभय, प्रसाद. (2015) समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पहला संस्करण, आई.एस.बी.एन.:978- 81 -250 -5944 -8, पृष्ट:369-370.
4. सिंह, अभय, प्रसाद. (2015) समकालीन भारत में विकास की प्रक्रिया और सामाजिक आन्दोलन, ओरिएंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, पहला संस्करण 2015, आई.एस.बी.एन:978-81-250-5944-8, पृष्ट-369-370.
5. चक्रवर्ती, पिनाकी., (2007), भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन:स्थानिक आयाम और वित्तीय प्रभाव, *July* 12, 2007, *https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1000215*
6. योजना आयोग की रिपोर्ट 2011-12, तेंदुलकर विधि द्वारा अनुमानित प्रतिशत और गरीबों की संख्या *http://planningcommission.nic.in*
7. योजना आयोग रिपोर्ट, 2011-12, *http://planningcommission.nic.in*
8. वाल्मीकि राम कृष्ण, (2010), गरीबी उन्मूलन नीतियां:द्वारा कर्नाटक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) का कार्यान्वयन, द इंडियन जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस वॉल्यूम। स्ङ्गङ्ग, नंबर 4, अक्टूबर-दिसंबर, 2010, पीपी। 1131-1 143.
9. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन 2008- 2009, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन. पेज-12-13,
10. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार *https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/all_lvl_details_dashboard_new.aspx*
11. *https://www.thestatesman.com/india/16-91-crore-mnrega-job-cards-to-be-linked-with-aadhaar-1503133233.html* 22 नवम्बर 2022.
12. जनसँख्या सम्बन्धी विवरण, *http://balod.gov.in/population*
13. बालोद जिले का भौगोलिक एवं नगरपालिका विवरण,*http://balod.gov.in/municipalties*
14. स्कीम ऑफ़ नेशनल अवार्ड्स टू डिस्ट्रिक्ट टीम्स फॉर 'इफेक्टिव इनिशिएटिव इन महात्मा गाँधी एन.आर.ई.जी.ए. इम्प्लीमेंटेशन' गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ़ रूरल डेवलपमेंट एन.आर.ई.जी.ए. डिवीज़न कृषि भवन, नई दिल्ली
15. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, 5-दिसम्बर-22, *https://mnregaweb4.nic.in/netnrega/app_issue.aspx?page*
16. खरथुली ग्राम पंचायत विवरण, *www.nrega.nic.in.*
17. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, न्यू दिल्ली
18. खरथुली ग्राम पंचायत की सामाजिक आर्थिक सूचकांक सम्बन्धी आंकडे जागणना 2011, *http://censusindia.gov.in/pca/cdb_pca_census/Houselisting-housing Chatisghra.html*